तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स
17.7.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पेशोनार तहसील दार बेंगू प्रोर मल पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नही करने से जवाब दावा का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मे दिनांक 13-8-25 को पेश हो।
13-8-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी द्वारा वादी गवाह के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश कर आज ही दस्तावेज प्रदर्श कर बयान कलम बध्द कराये गये। प्रकरण मे वादी अन्य कोई और गवाह पेश नही करना चाहते है अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 1-9-25 को पेश हो।
1-9-25	पत्रावली आज पेश ... द्वारा ... प्रकरण ... पत्रावली ... पुकार के लिए 10-9-25 को पेश की जाय। प्रतिवादी सं. 8 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ।
10-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25-9-25 को पेश हो।
25-9-25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. केम्प मे पधारे है। ~~वकील वादी उप.~~ अतः पत्रावली पुकार के लिए 29-9-25 को पेश की।
29-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की पूर्व मे बहस सुनी गई, दावा वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नन्दलाल
उदयराम
देवीलाल
अविनाश
दियालाल
पुरुषोत्तम

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

वा संख्याः– 22 / 2025

1. नंदलाल पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. देवीलाल पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
3. उदयलाल पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
4. लाभचंद्र पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
5. सरजूबाई पुत्री बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. शांतिलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
3. भंवरलाल दत्तकपुत्र कजोड धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एचडीएफसी बैंक शाखा बेगूँ
5. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
6. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अनिल शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :–29.09.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद पत्र इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम मंडावरी प.ह. मंडावरी तहसील बेगूँ में वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व आधिपत्य की एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात राजसव रेकार्ड में संवत 2078 की जमाबंदी में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
329	1023	0.0810 हैक्टर
	1024	0.0400 हैक्टर
	1379	0.3480 हैक्टर
	1385	0.2910 हैक्टर
	1405	0.2750 हैक्टर
	1411	0.2910 हैक्टर
	1728	0.0730 हैक्टर
	कीता–7 कुल रकबा	1.3990 हैक्टर

यह कि वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

बोतलाल पिता सेवा धाकड फोत

दलाल पुत्र	देवीलाल पुत्र	उदयलाल पुत्र	लाभचंदपुत्र	सरजूबाइपुत्री	भूरीबाई पत्नी फोत

यह कि प्रवितादीगण के पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

बरदा धाकड फोत

|

कजौड फोत भंवरलाल गोदपुत्र प्रति.सं.3	सेवा फोत	रूपा फोत

कन्हैयालाल पुत्र फोत	हीरीबाई पुत्री	चुन्नीलाल पुत्र	कालू पुत्रफोत	भोलीबाई पुत्री	जमनीबाई पत्नी

ओमप्रकाश पुत्र प्रति.1	शातिलाल पुत्र प्रति.2	ज्यानीबाई पत्नी	रोशन पुत्र	सत्यनारायण पुत्र	शांतिलाल पुत्र	गंगाबाई पत्नी

यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वाद वर्तित कृषि आराजीयात में से आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर कृषि भूमि मे से हम वादीगण के स्वर्गीय पिता बोतलाल पिता सेवा जी धाकड निवासी मंडावरी ने तत्कालिक खातेदार परिवार के कर्तागण कजौड सेवा रूपा पिता बरदा जी धाकड निवासी मंडावरी तहसील बेगूॅं स संवत 2036 दिनांक 01.02.1980 को जरिये कीमतन 2700/– अक्षरे दो हजार सात सौ रूपये में जरिये पंजीकृत बेचाननामा विक्रेतागण से 1/2 हक हिस्सा कृषि भूमि कय की तथा उक्त दिनांक से ही कयशुदा 1/2 हक हिस्से की कृषि आराजीयात पर स्वतंत्र रूप से विक्रेतागण से कब्जा स्वामित्व प्राप्त कर निरंतर निर्बाध रूप से हम वादीगण के पिता एवं इनके स्वर्गवास के पश्चात हम वादीगण ही मौके पर उक्त कृषि आराजीयात पर काबीज हो काश्त करते आ रहे है और वर्तमान भी हम वादीगण का ही कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है।

यह कि वर्णित कृषि आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि मे से 1/2 हक हिस्सा की कृषि भूमि हम वादीगण के पिता बोतलाल पिता सेवा जी धाकउ के द्वारा पंजीकृत बेचाननामा से कय करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में नवीन रोटेशन 2039–42 मे राजस्व कर्मचारियो एवं हल्का पटवारी द्वारा जरिये नरामान्तरण से अमल दरामद नहीं किया गया जो कि हल्का पटवारी की त्रुटीवश हुआ है। जिससे उक्त कयसुदा आराजी का नामांतरण हम वादीगण के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका जो भारी विधिक भूल होकर हल्का पटवारी की भूल का परिणाम है।

यसह कि इसी दोरान वादीगण के पिता बोतलाल धाकड का स्वर्गवास दिनांक 18.01.2007 को हो गया है एवं इसके पश्चात विक्रेतागण कजोड पिता बरदा जी का स्वर्गवास हो जाने से उक्त वाद वर्णित कयसुदा कृषि आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर का नामांतरण विक्रेतागण के विधिक वारिसान भंवरलाल दत्तकपुत्र कजौड धाकउ के नाम राजस्व रेकार्ड में हल्का पटवारी द्वारा बिना तथ्यो की जानकारी किये अमल दरामद कर दिया, लेकिन उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा एवं काश्त हम.वादीगण का ही चला आ रहा है। किन्तु मात्र राजसव रेकार्ड मे प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने से उसका अनुचित लाभ उठाने की गरज से वादीगण के पिता द्वारा कय की गई भूमि पर भी विक्रेतागण सेवा एवं मृतक कजौड के विधिक वारिसान ांवरलाल धाकड द्वारा चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक लि. चितौडगढ शाखा बेगूॅं से ऋण प्राप्त कर लिया इसी दौरान विक्रेतागण सेवा एवं रूपा धाकड का भी स्वर्गवास हो जाने से वाद वर्णित आराजीयात का हल्का पटवारी द्वारा बिना तथ्यो की जानकारी किये विधि विपरीत जाकर विरासत का नामान्तरण राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में इनके विधिक वारिसान के नाम गलत अंकित कर दिया जिसका अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 3 भंवरलला दत्तकपुत्र कजौड द्वारा स्वर्गीय रूपा जी धाकड के सभी विधिक वारिसान द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 2304 दिनांक 20.03.2015 हकत्याग से अपने पक्ष में करा लिया जिससे रूपा जी के विधिक वारिसान का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा भी अपनी भुआ हीरीबाई माता ज्यानीबाई से जरिये नामांतरण संख्या 3365 दिनांक 25.01.

4 को हकत्याग करवा लिया और इतना ही नहीं प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा भी एचडीएफसी बैंक खा बेगूँ से वाद वर्णित आराजी पर रहन रख ऋण प्राप्त कर यिला है। जिससे हम वादीगण के वर्गीय पिता बोतलाल द्वारा विक्रेतागण से क्रय की गई आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्से में हम वादीगण का नाम राजसव रेकार्ड जमाबंदी में अंहकित नहीं हो सका। विक्रेता स्वर्गीय रूपा धाकड के विधिक वारिसान का हकत्याग प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में कर देने से एवं प्रवितादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी माता ज्यानीबाई का हकत्याग उनके पक्ष में करवा लेने से एवं वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 329 मे वर्णित कृषि आराजीयात में उनका नाम अंकित नहीं होने से उन्हें वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह कि वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर में से 1/2 हक हिस्सा भूमि पर हम वादीगण निरंतर एवं निर्बाध एवं शांति पूर्वक काबीज होकर काश्त करते आ रहे है इसलिये हम वादीगण का नराम राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की घोषणा कराये जाने हेतू वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता हुई है।

यह कि दिनांक 26.11.2024 को हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1,2,3 को हमारे पिता की क्रयसुदा उक्त वाद वर्णित कृषि आराजी को हम वादीगण के नाम आपसी सहमति से राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने हम वादीगण के पिता द्वारा क्रयसुदा कषि भूमि को हम वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने से साफ इनकार कर दिया तथा कहा कि तुम्हारे पिता ,द्वारा क्रय की गई 1/2 कृषि भूमि के हिस्से पर हम जबरन कब्जा करके किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देगें तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हों । यदि प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण के पिता द्वारा क्रयसुदा कृषि भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बेचान दान बक्षीस कर दिया तो हम वादीगण के पिता द्वारा क्रयसुदा भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगे और हम भारी आर्थिक क्षति होगी एवं अनावश्यक मुकद्मे बाजी बढेगी । हमारे द्वारा पटवारी हल्का से हमारे बाप दादाओ की क्रयसुदा भूमि को हमारे खाते किये जाने की कहा तो उन्होने न्यायालय आदेश लाने की कहन से वादीगण को यह वाद पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिये न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वद कारण दिनांक 26.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1,2,3 द्वारा वाद वर्णित आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर मे से 1/2 हक हिस्सा वादीगण के पिता द्वारा क्रयसुदा भूमि को हम वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे आपसी सहमति से अंकित कराने के लिये हा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1,2,3 द्वारा मना कर भूमि पर जबरन कब्जा कर अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देने की धमकी से एवं हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय आदेश लाने की कहन से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद वर्णित कृषि आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से एवं श्रवणाधिकार आप न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से वादीगण का यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में अंदर अवधि प्रस्तुत है। यह कि घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के लिये श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ लैण्ड होल्डर से एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महादेय चितौडगढ राज्य के प्रतिनिधि होने से एवं वाद वर्णित संयुक्त खातदोरी की कृषि आराजीयात बैंक शाखा के रहन होने से बैंक शाखा को पक्षकार बनाये गये हैं।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है :–

(क) कि वाद पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित मौजा मंडावरी प.ह. मंडावरी तहसील बेगूँ की संवत 2078 के राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी के खाता संख्या 329 मे अंकित आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्से भूमि को हम वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ख) कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के बाप दादाओं द्वारा से आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्सा की क्रयसुदा भूमि को किसी प्रकार से किसी भी अजनबी व्यक्ति को रहन बेचान बक्षीस आदि तरीके से हस्तांतरित नहीं करें करावें और ना ही अपने परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें करावें।

(ग) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1,2,3 से दिलाया जावें।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण को प्रवितादीगण के विरूद्ध सुलभ हो प्रदान किया जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के सम्मन बाद तामील न्यायालय को प्राप्त हुए किन्तु प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये, प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी एवं प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज्य सरकार को जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया, किन्तु जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से प्रकरण में वादीगण की ओर से एक तरफा साक्ष्य वादीगण हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी लाभचंद्र पिता बोतलाल धाकड , वादी नंदलला पिता बोतलाल धाकड, वादी उदयलाल पिता बोतलाल धाकड , देवीलाल पिता बोतलाल धाकड , सरजूबाई पुत्री बोतलाल धाकड ,गवाह चुन्नीलाल पिता जगन्नाथ धाकड, गवाह हीरालाल पिता बालू धाकड के प्रस्तुत किये गये। वादी लाभचन्द्र, नन्दलाल, उदयलाल धाकउ, देवीलाल धाकड, सरजूबाई धाकड,गवाह चुन्नीलाल पिता जगन्नाथ धाकड व गवाह हीरालला पिता बलु धाकड द्वारा अपने अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण में अपने बयानो को कलमबद्ध कराया गया तथा वादीगण द्वारा इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने अपने बयानो को पूर्ण किया गया।

पत्रावली में वादीगण की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने क़े पश्चात अधिवक्ता वादीगण की ओर से एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होने अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार तथा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर ही करते हुए वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा मंडावरी प.ह. मंडावरी की आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि मे से 1/2 कृषि भूमि जो वादीगण के पिता द्वारा जरिये पंजीकृत विकय विलेख से कय की थी तथा कय के समय से ही उक्त 1/2 कृषि भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रेकार्ड में उक्त पंजीकृत कयसुदा कृषि भूमि वादीगण के नाम पर राजसव रेकार्ड में खाते नहीं किये जाने से उक्त कृषि भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा किये जाने का निवेदन अपनी बहस में अधिवक्ता वादीगण द्वारा करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का भी निवेदन किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात वाद पत्रावली में वादीगण के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उनका गहन अवलोकन किया गया, तथा समस्त प्रस्तुत दस्तावेज जो प्रदर्श दस्तावेज है का उल्लेख करते हुए निर्णय प्रकार से किया जाता है :–

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी प.ह. मंडावरी सं. 2078 जो कि प्रदर्श–1 है के अवलोन से पाया कि आराजी संख्या 1023, 1024, 1379, 1385, 1405, 1411, 1728 कीता–7 कुल रकबा 1.3990 हैक्टर भूमि के खातेदार ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6, भंवरलाल दत्तकपुत्र कजोड हिस्सा 2/3, शांतिलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 से दर्ज अंकित है। इस प्रकार वाद वर्णित कृषि आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक के खातेदारी की कृषि आराजी है। प्रदर्श–2 नकल नक्शाट्रेस आराजी का है।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–4 प्रमाणित छायाप्रति बेनामा आराजी की नकल है, जिसमें कजोड सेवा यपा पिता बरदा द्वारा मौजा मंडावरी प.ह. मंडावरी की कृषि भूमि आराजी संख्या 1024 रकबा पांच बिस्वा लगान 0.8 पैसा है जो कि विकेता के शामलाती खाते की कृषि भूमि थी जिसमें 1/2 हिस्सा जिसको राशि 2700रु में बोजतलाल पिता सेवा जी धाकड निवासी मंडावरी को बेचान किया जाने का अंकन उक्त पंजीकृत विकय विलेख में किया गया है। नकल प्रमाणित है, उक्त विकयपत्र में विकय की गई भूमि के सभी हक हकूक व हर हदूद केता को सौपे जाने का अंकन भी है। इस दावा पत्रावली में यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इससे स्पष्ट होता है कि वादपत्र में वर्णित कृषि मौजा मंडावरी की आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा वादीगण के पिता बोतलाल को जरिये पंजीकृत विकय तादादी राशि 2700 में विकय कर कब्जा सिपुर्द किया गया। कय समय से ही वादीगण के पिता बोतलाल का उक्त कयशुदा कृषि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होना तथा उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण का क़ब्जा काश्त होने का कथन वाद पत्र में जो अंकित किया है वह सही अंकित किया हुआ होता है क्यो कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित आकर इसका खण्डन नहीं किया गया है।

नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी की सम्वत 2021 की पेश की है जो कि प्रदर्श–5 है। उक्त जमाबंदी में वर्णित कृषि भूमिया कजोड सेवा रूपा पिता बरदा धाकड के खाते मे दर्ज होने का अंकन है जिसमें कृषि आराजी संख्या 1024 का भी अंकन है। इस प्रकार प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी की सम्वत 2039 से 42 की नकल है जिसमें अंकित अन्य कृषि आराजी के साथ साथ आराजी संख्या 1024 रकबा 5बिस्वा भूमि खातेदार श्री कजोड सेवा रूपा पिता बरदा धाकउ के खातेदारी की दर्ज अंकित है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत 2044 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत 2048 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत 2052 प्रदर्श–9 में अंकन किया हुआ है। नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी सम्वत 2056 से 59 तक जो कि प्रदर्श–10 एवं प्रदर्श–11 नकल जमाबंदी सम्वत 2060 है में वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार श्री भंवरलाल मु. कजोड सेवा, रूपा पिता बरदा धाकड खातेदार के नाम दर्ज अंकित है।

नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी सं. 2064 में दर्ज वाद वर्णित कृषि आराजी के लिए विरासत से खाता श्री सेवा के बजाय श्री कन्हैयालाल , हीरी पिता सेवा धाकड के नाम दर्ज करने की स्वीकृती का अंकन होकर उक्त जमाबंदी प्रदर्श–12 है। इसी प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत की गई नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी जो कि प्रदर्श–13, प्रदर्श–14 प्रस्तुत की गई जिसका अवलोन हमारे द्वारा किया गया।

इस दावा पत्रावली में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वह पंजीकृत विक्रय पत्र कृषि आराजी का प्रदर्श–4 है जिसमें वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 1024 रकबा 5बिस्वा में से 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता बोतलाल को विक्रय किये जाने का अंकन किया हुआ है तथा कब्जा सिपुर्द किये जाने का अंकन भी उसमें किया है तभी से क्रयशुदा भूमि पर वादीगण के पिता बोतलाल तथा उनके पश्चात वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी की कृषि आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि मे से 1/2 हिस्से का खातेदार पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम पर घोषित किया जाता है, तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 से 3 तक के खाते में दर्ज रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण बाप दादाओं द्वारा क्रयसुदा आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्सा की क्रयसुदा भूमि को किसी प्रकार से किसी भी अजनबी व्यक्ति को रहन बेचान बक्षीस आदि तरीके से हस्तांतरित नहीं करें करावें और ना ही अपने परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें करावें। वादीगण का वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है तथा डिक्री प्रति वास्तें पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्याः— 22/2025

1. नंदलाल पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. देवीलाल पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
3. उदयलाल पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्ड़ावरी तह0 बेगूँ
4. लाभचंद्र पिता बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
5. सरजूबाई पुत्री बोतलाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
2. शांतिलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
3. भंवरलाल दत्तकपुत्र कजोड धाकड निवासी मण्डावरी तह0 बेगूँ
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एचडीएफसी बैंक शाखा बेगूँ
5. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
6. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88—188 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 88—188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :—

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी की कृषि आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि मे से 1/2 हिस्से का खातेदार पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम पर घोषित किया जाता है, तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 से 3 तक के खाते में दर्ज रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण बाप दादाओं द्वारा कयसुदा आराजी संख्या 1024 रकबा 0.0400 हैक्टर कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्सा की कयसुदा भूमि को किसी प्रकार से किसी भी अजनबी व्यक्ति को रहन बेचान बक्षीस आदि तरीके से हस्तांतरित नहीं करें करावें और ना ही अपने परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें करावें। वादीगण का वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है तथा डिक्री प्रति वास्तें पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/670 दिनांक :— 29-9-25

दावा संख्या 22/2025 व अनवान नन्दलाल बनाम ओम प्रकाश वगै. वाद अ0धा0 88—188 आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा की गई अंतिम डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ